

LAY OUT PLAN OF "SHIV AANGAN "

AT REVENUE- VILLAGE- BINDAYAKA, TEH.-JAIPUR, DIST.- JAIPUR
UNDER KHASRA NO.- 845/605

SCALE 1:500

1576

B

9.5.25.

J.D.A.

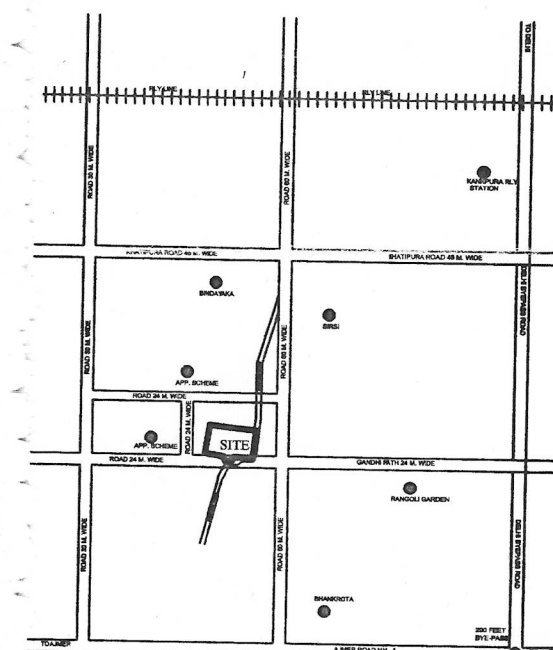
NORTH:-



KHASRA PLAN:-

845/605

LOCATION PLAN:-



मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार नू उपयोग
आवश्यक भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-
1 कुल आवसीय भूखण्ड = 26
2 सुदृढ व्यवसायिक भूखण्ड = 01

SCHEME DETAIL:-

क्रमांक	भू उपयोग	क्षेत्रफल (SQ.Mtr.)	प्रतिशत (%)
1	RESIDENTIAL	6001.46	58.60 %
2	RETAIL COMMERCIAL	205.60	2.00 %
(A) TOTAL (1 TO 2)		6207.06	60.60 %
3	PARK	579.91	5.66 %
4	SOLD WASTE	50.96	0.50 %
5	MOBILE TOWER	19.68	0.19 %
6	ZDP ROAD 24.0 M.	1669.22	16.30 %
7	SCHEME ROAD	1715.17	16.75 %
(B) TOTAL (3 TO 7)		4034.94	39.40 %
TOTAL SCHEME		10242.00	100.00 %
		1.0242 HECT.	

योजना की भूमि की रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90A की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमाणीकरण मेरे द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम तहसीलदार नाम उपायुक्त जोन-12

बी.पी.सी./जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

NAME OF SCHEME :- "SHIV AANGAN"

AT REVENUE- VILLAGE- BINDAYAKA, TEH.-JAIPUR, DIST.- JAIPUR
IN KHASRA NO.- 845/605

SCALE 1:500

DRG. NO.

A.T.P. ZONE

D.T.P.

S.T.P.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR

348/605

847/605

602/1

605/2

605/3

ZDP ROAD 24.00 MTR. WIDE

1/4

1/1

SHRIRAMPURAWAS KHASRA

1/2

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है।

नोट

- कार्नेर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
- आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 22.01.2025 को हो चुकी है।
- योजना की भूमि में रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 7, 18, 19, 20 कुल भूखण्ड 4 कुल क्षेत्रफल 793.83 वर्गमीटर है, को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
- योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 386 वीं बैठक दिनांक 18.02.2025 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
- इन्फार्मल कॉमर्शियल भूखण्ड की प्लानिंग मय पाथ-वे/पार्किंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ.नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार जावेगा।
- योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 में आवसीय दर्शित है।
- योजना मानचित्र टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- बी.पी.सी. (एल.पी.) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक्स जविप्रा (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।
- भूखण्ड संख्या 01 व भूखण्ड संख्या 02 का क्षेत्रफल 750 वर्गमीटर से अधिक होने के क्रम में उक्त भूमि के सामने स्थित सड़क हेतु न्यूनतम 12 मीटर सड़क मार्गाधिकार प्राप्त होने के परन्तु ही सड़क मार्गाधिकार के अनुसार प्रावधान लागू होगा।

सहायक नगर नियोजक
जयपुर
ज.वि.प्रा. जयपुर

उपायुक्त
जोन-12
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)
जयपुर

अतिरिक्त नगर नियोजक
जयपुर